

// प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग जावरा, जिला रतलाम म.प्र. //


क्रमांक 247.....

जावरा, दिनांक 11.5.18

नीलामी विज्ञप्ति

तहसील न्यायालय, जावरा के आधिपत्य में आपराधिक प्रकरण में जप्त वाहन मोटर सायकिल, मोपेड, सायकिल (जहां है, जैसी स्थिति में है) नीलामी दिनांक 28.05.2018 को प्रातः 11:00 से शाम 04:00 बजे तक नीलाम किया जाना है। उक्त दिनांक को वाहन की नीलामी पूर्ण नहीं होने की दशा में आगामी प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 11:00 से शाम 04:00 बजे तक की अवधि के दौरान जारी रहेगी।

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग जावरा के नाम से देय राशि रु 2000/- का बैंक ड्रॉफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है। नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारत अनुभाग, जावरा जिला रतलाम में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।


प्रभारी अधिकारी,
मालखाना अनुभाग जावरा
जिला, रतलाम म0प्र0

:: नीलामी की शर्तें ::

आपराधिक प्रकरण में जप्त वाहन मोटर सायकिल, मोपेड, सायकिल की नीलामी संबंधी कार्यवाही की निम्नांकित शर्तें नियत हैं:-

1. उक्त वाहन के पृथक-पृथक न्यूनतम अपलेखन मूल्य निर्धारित (शासकीय बोली) किये गये हैं :-

क्र.	मुद्देमाल नम्बर	मुद्देमाल (वाहन)	न्यूनतम कीमत
1.	390/01	पेंथर लूना गाडी	1,500/-
2.	823/08	लूना गाडी	1,500/-
3.	56/00	हीरो पेंथर गाडी	1,500/-
4.	486/96	लूना गाडी	1,500/-
5.	51/10	लूना गाडी	1,500/-
6.	501/04	हीरोपुक गाडी	2,000/-
7.	654/03	पेंथर लूना गाडी	1,500/-
8.	612/01	हीरो होण्डा मोटर सायकिल	3,100/-
9.	988/02	यामाहा मोटर सायकिल	3,000/-
10.	1019/08	यामाहा मोटर सायकिल	3,000/-
11.	18/96	राजदूत गाडी	4,000/-
12.	541/92	राजदूत गाडी	4,000/-
13.	86/02	बजाज मोटर सायकिल	3,500/-
14.	168/01	एनफिल्ड मोटर सायकिल	5,500/-
15.	123/03	एनफिल्ड मोटर सायकिल	5,500/-
16.	9/94	बुलेट	5,500/-
17.	539/92	लाल एनफिल्ड मोटर सायकिल	5,500/-

18.	607 / 02	यामाहा मोटर सायकिल	3,000 / -
19.	21 / 03	राजदूत	4,000 / -
20.	987 / 02	हीरो होण्डा मोटर सायकिल	3,000 / -
21.	61 / 04	यामाहा मोटर सायकिल	3,000 / -
22.	2 / 08	हीरो होण्डा मोटर सायकिल	3,000 / -
23.	124 / 03	राजदूत	4,000 / -
24.	15 / 95	राजदूत	4,000 / -
25.	18 / 95	राजदूत	4,000 / -
26.	222 / 01	राजदूत	3,800 / -
27.	598 / 03	राजदूत	3,800 / -
28.	11 / 03	स्कूटर	1,500 / -
29.	03 / 96	स्कूटर	1,500 / -
30.	662 / 03	स्कूटर	1,500 / -
31.	ए-1	बिना नंबर की गाडी	5,000 / -
32.	175 / 04	सुजुकी मैक्स	2,500 / -
33.	22 / 96	सुजुकी	2,500 / -
34.	517 / 06	सुजुकी	2,500 / -
35.	26 / 07	एनफिल्ड मोटर सायकिल	5,500 / -
36.	845 / 08	स्कूटर	1,500 / -
37.	485 / 03	यामाहा मोटर सायकिल	3,000 / -
38.	126 / 09	राजदूत	4,000 / -
39.	270	राजदूत	4,000 / -
40.	88 / 06	हीरो होण्डा मोटर सायकिल	3,000 / -
41.	ए-2	यामाहा गाडी नम्बर आर जे 35 4285	3,000 / -
42.	986 / 02	यामाहा मोटर सायकिल	3,000 / -
43.	1019 / 08	हीरो होण्डा मोटर सायकिल	3,000 / -
44.	904 / 08	राजदूत	4,000 / -
45.	451 / 03	राजदूत	4,000 / -
46.	464 / 03	राजदूत	4,000 / -
47.	780 / 08	बजाज डिस्कवर	3,200 / -
48.	ए-3	हीरो होण्डा मोटर सायकिल	3,000 / -
49.	384 / 07	राजदूत	4,000 / -
50.	ए-4	हीरो होण्डा मोटर सायकिल	3,000 / -
51.	12 / 03	हीरो होण्डा मोटर सायकिल	3,000 / -
52.	6 / 03	बजाज कावासाकी	3,500 / -
53.	56 / 2000	स्पार्क कायनेटिक	1,500 / -

54.	67 / 2001	पेंथर	1,500 / -
55.	312 / 2000	हिरोपुक	2,000 / -
56.	275 / 02	एम-80	2,300 / -
57.	171 / 02	पेंथर	1,500 / -
58.	839 / 08	हिरोपुक	2,000 / -
59.	142 / 09	पेंथर	1,500 / -
60.	194 / 08	लूना	1,500 / -
61.	936 / 02	हीरो शक्ति	2,000 / -
62.	1032 / 08	एम-80	2,000 / -
63.	59 / 08	पेंथर	1,500 / -
64.	166 / 01	पेंथर	1,500 / -
65.		सायकिलें	300 / - प्रति सायकिल

2. उक्त की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में 2000/- प्रति वाहन का बैंक ड्रॉफ्ट जो प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग जावरा के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. अमानत राशि बैंक ड्रॉफ्ट नीलामी की समाप्ति कर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई राशि जमा करने के पश्चात अमानत राशि का बैंक ड्रॉफ्ट लौटाया जावेगा।
4. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलाम के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
5. नीलाम के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति, नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात उक्त वाहन कर्मांक क्रेता को प्रदान किया जावेगा।
7. वाहन के अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि जमाकर, वाहन का उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि, शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
8. संबंधित उक्त वाहन का निरीक्षण कार्यालयीन दिवस/समय में, नजारत अनुभाग, जावरा जिला रतलाम में उपस्थित होकर किया जा सकता है।
9. बोलीकर्ता द्वारा नीलाम में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलाम संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गई है, ऐसा माना

जावेगा।

10. उक्त वाहनों को कय करने के पश्चात क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।
11. उक्त वाहनों को विक्रय के पश्चात कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।

(A)

प्रभारी अधिकारी,
मालखाना अनुभाग
जावरा, जिला रतलाम म.प्र.